न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–37/2022 दायर दिनांक:–15.03.2022

जीसीएमएस नं. 2022/99

1. केशवचन्द उम्र 63 साल
2. घनश्याम उम्र 52 साल

पुत्र त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

––––––––सायलान–02

बनाम

1. सलिगराम पुत्र रामखिलाडी उम्र 55 साल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0
2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली।
3. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौनं

––गैरसायलान–03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री पी एल गोयल वकील सायल

2.श्री मोहन अवस्थी वकील गैरसायलान सं0 1

निर्णय

दिनांक:–14.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 129 रकबा 0.08 है0 खसरा न0 173 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.27 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन सिटी है। उक्त आराजीयात में सायल नम्बर 01, 3/4 का तथा सायल न0 02, 1/4 के हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज व दखील होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar

Date: 2025.07.04 13:08:23 IST

Reason: SelfAttested

आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.08 [illegible] तहसील हिण्डौन है। उक्त आराजी का साबिक खसरा न0 65 [illegible] है। इसके सैटलमेंट [illegible] खसरा नम्बर कायम करते समय खसरा न0 174 रकबा 0.08 है0 कायम किया है, जो राजस्व कर्मचारियोंउ की लापरवाही व गलती के कारण गैरसायल नम्बर 01 के नाम उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी दर्ज कर दी गयी है, जबकि उक्त खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 स्थित ग्राम महूखास पूर्व में राजकीय भूमि दर्ज रिकॉर्ड सही है।

आराजी खसरा न0 174 रकबा 0.08 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डोन मौके पर हिण्डौन–महवा रोड के सहारे स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड की साबिक नक्शा ट्रैस से भलीभाति स्पष्ट है तथा इसके पूरब की ओर सायलान की खातेदारी की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र मुताबिक साबिक राजस्व रिकॉर्ड रही है, जिसमें सायलान उक्त रास्ते मुख्य सडक से खसरा नम्बर साबिक 65/1 गैरमुमकिन टीले में होकर अपने खसरा नम्बर की भूमि में आते जाते रहे है, जिसमें गैरसायल नम्बर 01 का कोई वास्ता किसी प्रकार का कभी नहीं रहा।

दौराने सैटलमेंट साबिक खसरा नम्बर 65/1 के नये खसरा नम्बर कायम करते समय उक्त साबिक खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 कायम कर उसे गलत तरीके से गैरसायल नम्बर 01 की खातेदारी में बिना किसी कानूनी अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज कर दिया, जिसका गैरसायल नम्बर 01 नाजायज फायदा उठाकर उक्त खसरा नम्बर हाल पर जबरन लठ्ठ के बल पर बाउण्ड्रीवाल कर सायलान की भूमि के रास्ते को जबरन बंद करना चाहता है, जिसका कि गैरसायल नम्बर 01 को काई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है।

गैरसायल नम्बर 01 ने गांव में एक नाजयाज गिरोह बना रखा है जो येनकेन प्रकारेण लोगो की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहते है तथा गैरसायल नम्बर 01 सैटलमेंट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त अनुसार की गई गलती का नाजयाज फायदा उठाने की गरज से अपने हमराहियों व मजदूरों के साथ दिनांक 07.03.2022 को मौके पर आया और खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 की, जिसमें होकर सायलान अपनी भूमि में आते जाते है, मौके पर बाउण्ड्री करने लगा तो सायलान ने कहा कि भाईयों यह जमीन तो सरकारी है व इस भूमि में होकर बजमाने बुजुर्गान हमारा अपनी भूमि में आने जाने का रास्ता रहा है, तुम लोग इसकी बाउण्ड्री कर हमारा रास्ता क्यों रोकना चाहते हो। यह तो सरकारी जमीन है। इतना सुनते ही गैरसायल नम्बर 01 ने कहा कि इस भूमि पर मै बाउण्ड्रीवाल कराकर कब्जा करके रहूंगा तथा उक्त जमीन रिकॉर्ड में मेरे नाम है तथा इसे लडाकू व बदमाश किस्म के लोगो को रहनवय कर वयनामा पंजीकृत करा दूंगा, तुमसे बने सो कर लेना। सायलन ने गैरसायल नम्बर 01 को काफी समझाया, मगर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। अगर गैरसायल नम्बर 01 अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो सायलान को अत्यधिक क्षति होगी? जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधा[illegible] पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायलान को इस [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की सायलान की खातेदारी की आरजीयात खसरा नम्बर 129 व खसरा नम्बर 173 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डोन में आने जाने का रास्ता जो कि खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में है उक्त खसरा नम्बर 174 में होकर सायलान के आवागमन को गैरसायल नम्बर 01 किसी भी प्रकार से अवरूद्ध नहीं करे और ना ही खसरा

नम्बर 174 की भूमि पर कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल करे एवं ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और नही ही किसी अन्य से करावे, जिससे सायलान को खसरा नम्बर 174 में होकर अपनी खातेदारी की भूमि मे आने जाने में किसी प्रकार व्यवधान पैदा हो तथा भूमि को किसी दीगर लोगो रहनब्यय कर उसका बयनाम पंजीबृद्ध नही करावे एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 की ओर से श्री मोहन अवस्थी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाव पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकीलों की बहस सुनी गयी सायल वकील ने अपनी बहस कथन में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया एवं गैरसायल ने अपने बहस कथन में जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया

प्रकरण में उभयपक्ष वकीलों की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 राजस्व नक्शा शीट, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2038–41, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस खसरा न0 174 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान गैरसायल की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा रहा है खसरा न0 174 गैरसायल की खातेदारी में है अगर सायलान को रास्ता चाहिए तो सक्षम न्यायालय में पृथक धाराओं में वाद दायर करे प्रकरण में खसरा न0 174 की खातेदारी सायल की खातेदारी नहीं होकर गैरसायल की खातेदारी में है जिससे उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं उक्त विवादित आराजीयात में सायलान का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेस केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 174 रकवा 0.08 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार [illegible] से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:23 IST
Reason: SelfAttested